



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-18042020-219076
CG-MH-E-18042020-219076

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 152]
No. 152]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 17, 2020/चैत्र 28, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 17, 2020/CHAITRA 28, 1942

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 17 अप्रैल, 2020

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जी एन/2020/10.—बोर्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 31, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 तथा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल) विनियम, 1992, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) विनियम, 1992, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (हामीदार) विनियम, 1993, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अभिरक्षक) विनियम, 1996, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सामूहिक विनिधान स्कीम) विनियम, 1999, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी जोखिम पूंजी विनिधानकर्ता) विनियम, 2000, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [श्रमजन्य (स्वेट) इक्विटी का निर्गमन] विनियम, 2002, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (बाजार सहभागियों के केन्द्रीय डाटाबेस) विनियम, 2003, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्क्योरिटाइज्ड डैट इंस्ट्रुमेंट्स) और प्रतिभूति रसीदों (सिक्क्यूरिटी रिसीट्स) का निर्गमन और इनकी सूचीबद्धता] विनियम, 2008, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008, भारतीय प्रतिभूति और

विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी] विनियम, 2011, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे) विनियम, 2014, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) विनियम, 2014, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों (म्युनिसिपल डैट सिक्क्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता] विनियम, 2015, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] विनियम, 2018, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल) विनियम, 1992 में संशोधन

3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल) विनियम, 1992 में, अध्याय VI के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“अध्याय VIक

विनियमों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में ढील देने की शक्ति

विशेष मामलों में विनियमों के लागू होने से छूट

28क. (1) बोर्ड, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को, उतनी अवधि तक, जितनी निर्धारित की जाए किंतु जो बारह महीनों से अधिक की न हो, प्रतिभूति बाजारों (सिक्क्यूरिटीज़ मार्केट्स) में रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स के लाइव एनवायरमेंट में नए उत्पादों (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाओं (प्रोसेसेज़), नई सेवाओं (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडलों, आदि को परखने (की टेस्टिंग) से संबंधित तकनीकी पहलुओं में इनोवेशन करने के लिए, इन विनियमों के सभी प्रावधानों या किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) के तहत बोर्ड द्वारा प्रदान की गई कोई छूट इस बात के अध्यधीन होगी कि आवेदक ऐसी शर्तें पूरी करे (जिनमें सतत आधार पर पूरी की जाने वाली शर्तें शामिल हैं), जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ।

स्पष्टीकरण - इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, “रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स” से एक ऐसा लाइव टेस्टिंग एनवायरमेंट अभिप्रेत है, जहाँ, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ, प्रतिभूति बाजार (सिक्क्यूरिटीज़ मार्केट) में इनोवेशन करने के लिए, निर्धारित समयावधि हेतु कुछ पात्र ग्राहकों के लिए नए उत्पाद (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाएँ (प्रोसेसेज़), नई सेवाएँ (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडल, आदि उपलब्ध कराए जा सकेंगे।”

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) विनियम, 1992 में संशोधन

4. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) विनियम, 1992 में, अध्याय 5 के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“अध्याय 6

विनियमों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में ढील देने की शक्ति

विशेष मामलों में विनियमों के लागू होने से छूट

44. (1) बोर्ड, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को, उतनी अवधि तक, जितनी निर्धारित की जाए किंतु जो बारह महीनों से अधिक की न हो, प्रतिभूति बाजारों (सिक्यूरिटीज़ मार्केट्स) में रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स के लाइव एनवायरमेंट में नए उत्पादों (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाओं (प्रोसेसेज़), नई सेवाओं (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडलों, आदि को परखने (की टेस्टिंग) से संबंधित तकनीकी पहलुओं में इनोवेशन करने के लिए इन विनियमों के सभी प्रावधानों या किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) के तहत बोर्ड द्वारा प्रदान की गई कोई छूट इस बात के अध्यधीन होगी कि आवेदक ऐसी शर्तें पूरी करे (जिनमें सतत आधार पर पूरी की जाने वाली शर्तें शामिल हैं), जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ।

स्पष्टीकरण - इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, “रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स” से एक ऐसा लाइव टेस्टिंग एनवायरमेंट अभिप्रेत है, जहाँ, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में इनोवेशन करने के लिए, निर्धारित समयावधि हेतु कुछ पात्र ग्राहकों के लिए नए उत्पाद (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाएँ (प्रोसेसेज़), नई सेवाएँ (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडल, आदि उपलब्ध कराए जा सकेंगे।”

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 में संशोधन

5. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 में, अध्याय-V के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“अध्याय-VI

विनियमों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में ढील देने की शक्ति

विशेष मामलों में विनियमों के लागू होने से छूट

33. (1) बोर्ड, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को, उतनी अवधि तक, जितनी निर्धारित की जाए किंतु जो बारह महीनों से अधिक की न हो, प्रतिभूति बाजारों (सिक्यूरिटीज़ मार्केट्स) में रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स के लाइव एनवायरमेंट में नए उत्पादों (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाओं (प्रोसेसेज़), नई सेवाओं (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडलों, आदि को परखने (की टेस्टिंग) से संबंधित तकनीकी पहलुओं में इनोवेशन करने के लिए, इन विनियमों के सभी प्रावधानों या किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) के तहत बोर्ड द्वारा प्रदान की गई कोई छूट इस बात के अध्यधीन होगी कि आवेदक ऐसी शर्तें पूरी करे (जिनमें सतत आधार पर पूरी की जाने वाली शर्तें शामिल हैं), जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ।

स्पष्टीकरण - इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, “रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स” से एक ऐसा लाइव टेस्टिंग एनवायरमेंट अभिप्रेत है, जहाँ, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में इनोवेशन करने के लिए, निर्धारित समयावधि हेतु कुछ पात्र ग्राहकों के लिए नए उत्पाद (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाएँ (प्रोसेसेज़), नई सेवाएँ (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडल, आदि उपलब्ध कराए जा सकेंगे।”

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (हामीदार) विनियम, 1993 में संशोधन

6. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (हामीदार) विनियम, 1993 में, अध्याय V के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“अध्याय VI

विनियमों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में ढील देने की शक्ति

विशेष मामलों में विनियमों के लागू होने से छूट

33. (1) बोर्ड, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को, उतनी अवधि तक, जितनी निर्धारित की जाए किंतु जो बारह महीनों से अधिक की न हो, प्रतिभूति बाजारों (सिक्यूरिटीज़ मार्केट्स) में रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स के लाइव एनवायरमेंट में नए

उत्पादों (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाओं (प्रोसेसेज़), नई सेवाओं (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडलों, आदि को परखने (की टेस्टिंग) से संबंधित तकनीकी पहलुओं में इनोवेशन करने के लिए, इन विनियमों के सभी प्रावधानों या किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) के तहत बोर्ड द्वारा प्रदान की गई कोई छूट इस बात के अध्यधीन होगी कि आवेदक ऐसी शर्तें पूरी करे (जिनमें सतत आधार पर पूरी की जाने वाली शर्तें शामिल हैं), जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ।

स्पष्टीकरण - इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, "रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स" से एक ऐसा लाइव टेस्टिंग एनवायरमेंट अभिप्रेत है, जहाँ, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में इनोवेशन करने के लिए, निर्धारित समयावधि हेतु कुछ पात्र ग्राहकों के लिए नए उत्पाद (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाएँ (प्रोसेसेज़), नई सेवाएँ (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडल, आदि उपलब्ध कराए जा सकेंगे।"

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 में संशोधन

7. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 में, अध्याय-5 के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"अध्याय-6

विनियमों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में ढील देने की शक्ति

विशेष मामलों में विनियमों के लागू होने से छूट

30. (1) बोर्ड, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को, उतनी अवधि तक, जितनी निर्धारित की जाए किंतु जो बारह महीनों से अधिक की न हो, प्रतिभूति बाजारों (सिक्यूरिटीज़ मार्केट्स) में रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स के लाइव एनवायरमेंट में नए उत्पादों (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाओं (प्रोसेसेज़), नई सेवाओं (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडलों, आदि को परखने (की टेस्टिंग) से संबंधित तकनीकी पहलुओं में इनोवेशन करने के लिए, इन विनियमों के सभी प्रावधानों या किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) के तहत बोर्ड द्वारा प्रदान की गई कोई छूट इस बात के अध्यधीन होगी कि आवेदक ऐसी शर्तें पूरी करे (जिनमें सतत आधार पर पूरी की जाने वाली शर्तें शामिल हैं), जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ।

स्पष्टीकरण - इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, "रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स" से एक ऐसा लाइव टेस्टिंग एनवायरमेंट अभिप्रेत है, जहाँ, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में इनोवेशन करने के लिए, निर्धारित समयावधि हेतु कुछ पात्र ग्राहकों के लिए नए उत्पाद (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाएँ (प्रोसेसेज़), नई सेवाएँ (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडल, आदि उपलब्ध कराए जा सकेंगे।"

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994 में संशोधन

8. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994 में, अध्याय V के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"अध्याय VI

विनियमों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में ढील देने की शक्ति

विशेष मामलों में विनियमों के लागू होने से छूट

32. (1) बोर्ड, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को, उतनी अवधि तक, जितनी निर्धारित की जाए किंतु जो बारह महीनों से अधिक की न हो, प्रतिभूति बाजारों (सिक्यूरिटीज़ मार्केट्स) में रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स के लाइव एनवायरमेंट में नए उत्पादों (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाओं (प्रोसेसेज़), नई सेवाओं (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडलों, आदि को परखने (की टेस्टिंग) से संबंधित तकनीकी पहलुओं में इनोवेशन करने के लिए, इन विनियमों के सभी प्रावधानों या किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) के तहत बोर्ड द्वारा प्रदान की गई कोई छूट इस बात के अध्यधीन होगी कि आवेदक ऐसी शर्तें पूरी करे (जिनमें सतत आधार पर पूरी की जाने वाली शर्तें शामिल हैं), जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ।

स्पष्टीकरण - इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, "रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स" से एक ऐसा लाइव टेस्टिंग एनवायरमेंट अभिप्रेत है, जहाँ, ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में इनोवेशन करने के लिए, निर्धारित समयावधि हेतु कुछ पात्र ग्राहकों के लिए नए उत्पाद (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाएँ (प्रोसेसेज़), नई सेवाएँ (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडल, आदि उपलब्ध कराए जा सकेंगे।"

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 में संशोधन

9. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 में, अध्याय IX के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"अध्याय IXक

विनियमों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में ढील देने की शक्ति

विशेष मामलों में विनियमों के लागू होने से छूट

76क. (1) बोर्ड, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को, उतनी अवधि तक, जितनी निर्धारित की जाए किंतु जो बारह महीनों से अधिक की न हो, प्रतिभूति बाजारों (सिक्यूरिटीज़ मार्केट्स) में रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स के लाइव एनवायरमेंट में नए उत्पादों (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाओं (प्रोसेसेज़), नई सेवाओं (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडलों, आदि को परखने (की टेस्टिंग) से संबंधित तकनीकी पहलुओं में इनोवेशन करने के लिए, इन विनियमों के सभी प्रावधानों या किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) के तहत बोर्ड द्वारा प्रदान की गई कोई छूट इस बात के अध्यक्षीन होगी कि आवेदक ऐसी शर्तें पूरी करे (जिनमें सतत आधार पर पूरी की जाने वाली शर्तें शामिल हैं), जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ।

स्पष्टीकरण - इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, "रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स" से एक ऐसा लाइव टेस्टिंग एनवायरमेंट अभिप्रेत है, जहाँ, ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में इनोवेशन करने के लिए, निर्धारित समयावधि हेतु कुछ पात्र ग्राहकों के लिए नए उत्पाद (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाएँ (प्रोसेसेज़), नई सेवाएँ (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडल, आदि उपलब्ध कराए जा सकेंगे।"

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अभिरक्षक) विनियम, 1996 में संशोधन

10. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अभिरक्षक) विनियम, 1996 में, अध्याय V के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"अध्याय VI

विनियमों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में ढील देने की शक्ति

विशेष मामलों में विनियमों के लागू होने से छूट

33. (1) बोर्ड, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को, उतनी अवधि तक, जितनी निर्धारित की जाए किंतु जो बारह महीनों से अधिक की न हो, प्रतिभूति बाजारों (सिक्यूरिटीज़ मार्केट्स) में रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स के लाइव एनवायरमेंट में नए उत्पादों (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाओं (प्रोसेसेज़), नई सेवाओं (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडलों, आदि को परखने (की टेस्टिंग) से संबंधित तकनीकी पहलुओं में इनोवेशन करने के लिए, इन विनियमों के सभी प्रावधानों या किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) के तहत बोर्ड द्वारा प्रदान की गई कोई छूट इस बात के अध्यक्षीन होगी कि आवेदक ऐसी शर्तें पूरी करे (जिनमें सतत आधार पर पूरी की जाने वाली शर्तें शामिल हैं), जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ।

स्पष्टीकरण - इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, "रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स" से एक ऐसा लाइव टेस्टिंग एनवायरमेंट अभिप्रेत है, जहाँ, ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में इनोवेशन करने के लिए, निर्धारित समयावधि हेतु कुछ पात्र ग्राहकों के लिए नए उत्पाद (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाएँ (प्रोसेसेज़), नई सेवाएँ (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडल, आदि उपलब्ध कराए जा सकेंगे।"

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 में संशोधन

11. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 में, अध्याय VI के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“अध्याय VII**विनियमों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में ढील देने की शक्ति****विशेष मामलों में विनियमों के लागू होने से छूट**

43. (1) बोर्ड, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को, उतनी अवधि तक, जितनी निर्धारित की जाए किंतु जो बारह महीनों से अधिक की न हो, प्रतिभूति बाजारों (सिक्क्यूरिटीज़ मार्केट्स) में रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स के लाइव एनवायरमेंट में नए उत्पादों (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाओं (प्रोसेसेज़), नई सेवाओं (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडलों, आदि को परखने (की टेस्टिंग) से संबंधित तकनीकी पहलुओं में इनोवेशन करने के लिए, इन विनियमों के सभी प्रावधानों या किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) के तहत बोर्ड द्वारा प्रदान की गई कोई छूट इस बात के अध्यधीन होगी कि आवेदक ऐसी शर्तें पूरी करे (जिनमें सतत आधार पर पूरी की जाने वाली शर्तें शामिल हैं), जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ।

स्पष्टीकरण - इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, “रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स” से एक ऐसा लाइव टेस्टिंग एनवायरमेंट अभिप्रेत है, जहाँ, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ, प्रतिभूति बाजार (सिक्क्यूरिटीज़ मार्केट) में इनोवेशन करने के लिए, निर्धारित समयावधि हेतु कुछ पात्र ग्राहकों के लिए नए उत्पाद (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाएँ (प्रोसेसेज़), नई सेवाएँ (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडल, आदि उपलब्ध कराए जा सकेंगे।”

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सामूहिक विनिधान स्कीम) विनियम, 1999 में संशोधन

12. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सामूहिक विनिधान स्कीम) विनियम, 1999 में, अध्याय IX के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“अध्याय IX**विनियमों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में ढील देने की शक्ति****विशेष मामलों में विनियमों के लागू होने से छूट**

74ख. (1) बोर्ड, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को, उतनी अवधि तक, जितनी निर्धारित की जाए किंतु जो बारह महीनों से अधिक की न हो, प्रतिभूति बाजारों (सिक्क्यूरिटीज़ मार्केट्स) में रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स के लाइव एनवायरमेंट में नए उत्पादों (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाओं (प्रोसेसेज़), नई सेवाओं (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडलों, आदि को परखने (की टेस्टिंग) से संबंधित तकनीकी पहलुओं में इनोवेशन करने के लिए, इन विनियमों के सभी प्रावधानों या किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) के तहत बोर्ड द्वारा प्रदान की गई कोई छूट इस बात के अध्यधीन होगी कि आवेदक ऐसी शर्तें पूरी करे (जिनमें सतत आधार पर पूरी की जाने वाली शर्तें शामिल हैं), जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ।

स्पष्टीकरण - इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, “रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स” से एक ऐसा लाइव टेस्टिंग एनवायरमेंट अभिप्रेत है, जहाँ, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ, प्रतिभूति बाजार (सिक्क्यूरिटीज़ मार्केट) में इनोवेशन करने के लिए, निर्धारित समयावधि हेतु कुछ पात्र ग्राहकों के लिए नए उत्पाद (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाएँ (प्रोसेसेज़), नई सेवाएँ (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडल, आदि उपलब्ध कराए जा सकेंगे।”

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) विनियम, 2000 में संशोधन

13. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) विनियम, 2000 में, अध्याय VI के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“अध्याय VII

विनियमों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में ढील देने की शक्ति

विशेष मामलों में विनियमों के लागू होने से छूट

30. (1) बोर्ड, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को, उतनी अवधि तक, जितनी निर्धारित की जाए किंतु जो बारह महीनों से अधिक की न हो, प्रतिभूति बाजारों (सिक्यूरिटीज़ मार्केट्स) में रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स के लाइव एनवायरमेंट में नए उत्पादों (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाओं (प्रोसेसेज़), नई सेवाओं (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडलों, आदि को परखने (की टेस्टिंग) से संबंधित तकनीकी पहलुओं में इनोवेशन करने के लिए, इन विनियमों के सभी प्रावधानों या किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) के तहत बोर्ड द्वारा प्रदान की गई कोई छूट इस बात के अध्यधीन होगी कि आवेदक ऐसी शर्तें पूरी करे (जिनमें सतत आधार पर पूरी की जाने वाली शर्तें शामिल हैं), जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ।

स्पष्टीकरण - इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, “रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स” से एक ऐसा लाइव टेस्टिंग एनवायरमेंट अभिप्रेत है, जहाँ, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में इनोवेशन करने के लिए, निर्धारित समयावधि हेतु कुछ पात्र ग्राहकों के लिए नए उत्पाद (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाएँ (प्रोसेसेज़), नई सेवाएँ (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडल, आदि उपलब्ध कराए जा सकेंगे।”

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [श्रमजन्य (स्वेट) इक्विटी का निर्गमन] विनियम, 2002 में संशोधन

14. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [श्रमजन्य (स्वेट) इक्विटी का निर्गमन] विनियम, 2002 में, अध्याय IV के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“अध्याय V

विनियमों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में ढील देने की शक्ति

विशेष मामलों में विनियमों के लागू होने से छूट

21. (1) बोर्ड, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को, उतनी अवधि तक, जितनी निर्धारित की जाए किंतु जो बारह महीनों से अधिक की न हो, प्रतिभूति बाजारों (सिक्यूरिटीज़ मार्केट्स) में रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स के लाइव एनवायरमेंट में नए उत्पादों (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाओं (प्रोसेसेज़), नई सेवाओं (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडलों, आदि को परखने (की टेस्टिंग) से संबंधित तकनीकी पहलुओं में इनोवेशन करने के लिए, इन विनियमों के सभी प्रावधानों या किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) के तहत बोर्ड द्वारा प्रदान की गई कोई छूट इस बात के अध्यधीन होगी कि आवेदक ऐसी शर्तें पूरी करे (जिनमें सतत आधार पर पूरी की जाने वाली शर्तें शामिल हैं), जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ।

स्पष्टीकरण - इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, “रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स” से एक ऐसा लाइव टेस्टिंग एनवायरमेंट अभिप्रेत है, जहाँ, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में इनोवेशन करने के लिए, निर्धारित समयावधि हेतु कुछ पात्र ग्राहकों के लिए नए उत्पाद (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाएँ (प्रोसेसेज़), नई सेवाएँ (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडल, आदि उपलब्ध कराए जा सकेंगे।”

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (बाजार सहभागियों के केन्द्रीय डाटाबेस) विनियम, 2003 में संशोधन

15. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (बाजार सहभागियों के केन्द्रीय डाटाबेस) विनियम, 2003 में, अध्याय V के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“अध्याय VI

विनियमों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में ढील देने की शक्ति

विशेष मामलों में विनियमों के लागू होने से छूट

23. (1) बोर्ड, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को, उतनी अवधि तक, जितनी निर्धारित की जाए किंतु जो बारह महीनों से अधिक की न हो, प्रतिभूति बाजारों (सिक्यूरिटीज़ मार्केट्स) में रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स के लाइव एनवायरमेंट में नए

उत्पादों (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाओं (प्रोसेसेज़), नई सेवाओं (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडलों, आदि को परखने (की टेस्टिंग) से संबंधित तकनीकी पहलुओं में इनोवेशन करने के लिए, इन विनियमों के सभी प्रावधानों या किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) के तहत बोर्ड द्वारा प्रदान की गई कोई छूट इस बात के अध्यधीन होगी कि आवेदक ऐसी शर्तें पूरी करे (जिनमें सतत आधार पर पूरी की जाने वाली शर्तें शामिल हैं), जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ।

स्पष्टीकरण - इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, "रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स" से एक ऐसा लाइव टेस्टिंग एनवायरमेंट अभिप्रेत है, जहाँ, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में इनोवेशन करने के लिए, निर्धारित समयावधि हेतु कुछ पात्र ग्राहकों के लिए नए उत्पाद (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाएँ (प्रोसेसेज़), नई सेवाएँ (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडल, आदि उपलब्ध कराए जा सकेंगे।"

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्सट्रुमेंट्स) और प्रतिभूति रसीदों (सिक्यूरिटी रिसीट्स) का निर्गमन और इनकी सूचीबद्धता] विनियम, 2008 में संशोधन

16. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्सट्रुमेंट्स) और प्रतिभूति रसीदों (सिक्यूरिटी रिसीट्स) का निर्गमन और इनकी सूचीबद्धता] विनियम, 2008 में, अध्याय IX के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“अध्याय IXक

विनियमों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में ढील देने की शक्ति

विशेष मामलों में विनियमों के लागू होने से छूट

47क. (1) बोर्ड, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को, उतनी अवधि तक, जितनी निर्धारित की जाए किंतु जो बारह महीनों से अधिक की न हो, प्रतिभूति बाजारों (सिक्यूरिटीज़ मार्केट्स) में रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स के लाइव एनवायरमेंट में नए उत्पादों (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाओं (प्रोसेसेज़), नई सेवाओं (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडलों, आदि को परखने (की टेस्टिंग) से संबंधित तकनीकी पहलुओं में इनोवेशन करने के लिए, इन विनियमों के सभी प्रावधानों या किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) के तहत बोर्ड द्वारा प्रदान की गई कोई छूट इस बात के अध्यधीन होगी कि आवेदक ऐसी शर्तें पूरी करे (जिनमें सतत आधार पर पूरी की जाने वाली शर्तें शामिल हैं), जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ।

स्पष्टीकरण - इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, "रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स" से एक ऐसा लाइव टेस्टिंग एनवायरमेंट अभिप्रेत है, जहाँ, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में इनोवेशन करने के लिए, निर्धारित समयावधि हेतु कुछ पात्र ग्राहकों के लिए नए उत्पाद (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाएँ (प्रोसेसेज़), नई सेवाएँ (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडल, आदि उपलब्ध कराए जा सकेंगे।"

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गमन और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008 में संशोधन

17. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गमन और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008 में, □अध्याय VI के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“अध्याय VIक

विनियमों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में ढील देने की शक्ति

विशेष मामलों में विनियमों के लागू होने से छूट

29क. (1) बोर्ड, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को, उतनी अवधि तक, जितनी निर्धारित की जाए किंतु जो बारह महीनों से अधिक की न हो, प्रतिभूति बाजारों (सिक्यूरिटीज़ मार्केट्स) में रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स के लाइव एनवायरमेंट में नए उत्पादों (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाओं (प्रोसेसेज़), नई सेवाओं (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडलों, आदि को परखने (की टेस्टिंग) से संबंधित तकनीकी पहलुओं में इनोवेशन करने के लिए, इन विनियमों के सभी प्रावधानों या किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) के तहत बोर्ड द्वारा प्रदान की गई कोई छूट इस बात के अध्यधीन होगी कि आवेदक ऐसी शर्तें पूरी करे (जिनमें सतत आधार पर पूरी की जाने वाली शर्तें शामिल हैं), जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ।

स्पष्टीकरण - इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, "रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स" से एक ऐसा लाइव टेस्टिंग एनवायरमेंट अभिप्रेत है, जहाँ, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ, प्रतिभूति बाजार (सिक््यूरिटीज़ मार्केट) में इनोवेशन करने के लिए, निर्धारित समयावधि हेतु कुछ पात्र ग्राहकों के लिए नए उत्पाद (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाएँ (प्रोसेसेज़), नई सेवाएँ (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडल, आदि उपलब्ध कराए जा सकेंगे।"

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 में संशोधन

18. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 में, अध्याय Vक के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"अध्याय Vख

विनियमों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में ढील देने की शक्ति

विशेष मामलों में विनियमों के लागू होने से छूट

33घ. (1) बोर्ड, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को, उतनी अवधि तक, जितनी निर्धारित की जाए किंतु जो बारह महीनों से अधिक की न हो, प्रतिभूति बाजारों (सिक््यूरिटीज़ मार्केट्स) में रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स के लाइव एनवायरमेंट में नए उत्पादों (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाओं (प्रोसेसेज़), नई सेवाओं (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडलों, आदि को परखने (की टेस्टिंग) से संबंधित तकनीकी पहलुओं में इनोवेशन करने के लिए, इन विनियमों के सभी प्रावधानों या किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) के तहत बोर्ड द्वारा प्रदान की गई कोई छूट इस बात के अध्यधीन होगी कि आवेदक ऐसी शर्तें पूरी करे (जिनमें सतत आधार पर पूरी की जाने वाली शर्तें शामिल हैं), जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ।

स्पष्टीकरण - इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, "रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स" से एक ऐसा लाइव टेस्टिंग एनवायरमेंट अभिप्रेत है, जहाँ, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ, प्रतिभूति बाजार (सिक््यूरिटीज़ मार्केट) में इनोवेशन करने के लिए, निर्धारित समयावधि हेतु कुछ पात्र ग्राहकों के लिए नए उत्पाद (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाएँ (प्रोसेसेज़), नई सेवाएँ (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडल, आदि उपलब्ध कराए जा सकेंगे।"

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009 में संशोधन

19. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009 में, अध्याय-VII के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"अध्याय-VIIक

विनियमों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में ढील देने की शक्ति

विशेष मामलों में विनियमों के लागू होने से छूट

28क. (1) बोर्ड, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को, उतनी अवधि तक, जितनी निर्धारित की जाए किंतु जो बारह महीनों से अधिक की न हो, प्रतिभूति बाजारों (सिक््यूरिटीज़ मार्केट्स) में रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स के लाइव एनवायरमेंट में नए उत्पादों (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाओं (प्रोसेसेज़), नई सेवाओं (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडलों, आदि को परखने (की टेस्टिंग) से संबंधित तकनीकी पहलुओं में इनोवेशन करने के लिए, इन विनियमों के सभी प्रावधानों या किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) के तहत बोर्ड द्वारा प्रदान की गई कोई छूट इस बात के अध्यधीन होगी कि आवेदक ऐसी शर्तें पूरी करे (जिनमें सतत आधार पर पूरी की जाने वाली शर्तें शामिल हैं), जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ।

स्पष्टीकरण - इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, "रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स" से एक ऐसा लाइव टेस्टिंग एनवायरमेंट अभिप्रेत है, जहाँ, ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में इनोवेशन करने के लिए, निर्धारित समयावधि हेतु कुछ पात्र ग्राहकों के लिए नए उत्पाद (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाएँ (प्रोसेसेज़), नई सेवाएँ (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडल, आदि उपलब्ध कराए जा सकेंगे।"

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 में संशोधन

20. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 में, अध्याय-V के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"अध्याय-Vक

विनियमों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में ढील देने की शक्ति

विशेष मामलों में विनियमों के लागू होने से छूट

31क. (1) बोर्ड, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को, उतनी अवधि तक, जितनी निर्धारित की जाए किंतु जो बारह महीनों से अधिक की न हो, प्रतिभूति बाजारों (सिक्यूरिटीज़ मार्केट्स) में रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स के लाइव एनवायरमेंट में नए उत्पादों (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाओं (प्रोसेसेज़), नई सेवाओं (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडलों, आदि को परखने (की टेस्टिंग) से संबंधित तकनीकी पहलुओं में इनोवेशन करने के लिए, इन विनियमों के सभी प्रावधानों या किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) के तहत बोर्ड द्वारा प्रदान की गई कोई छूट इस बात के अध्यक्षीन होगी कि आवेदक ऐसी शर्तें पूरी करे (जिनमें सतत आधार पर पूरी की जाने वाली शर्तें शामिल हैं), जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ।

स्पष्टीकरण - इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, "रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स" से एक ऐसा लाइव टेस्टिंग एनवायरमेंट अभिप्रेत है, जहाँ, ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में इनोवेशन करने के लिए, निर्धारित समयावधि हेतु कुछ पात्र ग्राहकों के लिए नए उत्पाद (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाएँ (प्रोसेसेज़), नई सेवाएँ (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडल, आदि उपलब्ध कराए जा सकेंगे।"

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी] विनियम, 2011 में संशोधन

21. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी] विनियम, 2011 में, अध्याय-V के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"अध्याय-VI

विनियमों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में ढील देने की शक्ति

विशेष मामलों में विनियमों के लागू होने से छूट

26. (1) बोर्ड, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को, उतनी अवधि तक, जितनी निर्धारित की जाए किंतु जो बारह महीनों से अधिक की न हो, प्रतिभूति बाजारों (सिक्यूरिटीज़ मार्केट्स) में रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स के लाइव एनवायरमेंट में नए उत्पादों (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाओं (प्रोसेसेज़), नई सेवाओं (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडलों, आदि को परखने (की टेस्टिंग) से संबंधित तकनीकी पहलुओं में इनोवेशन करने के लिए, इन विनियमों के सभी प्रावधानों या किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) के तहत बोर्ड द्वारा प्रदान की गई कोई छूट इस बात के अध्यक्षीन होगी कि आवेदक ऐसी शर्तें पूरी करे (जिनमें सतत आधार पर पूरी की जाने वाली शर्तें शामिल हैं), जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ।

स्पष्टीकरण - इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, "रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स" से एक ऐसा लाइव टेस्टिंग एनवायरमेंट अभिप्रेत है, जहाँ, ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में इनोवेशन करने के लिए, निर्धारित समयावधि हेतु कुछ पात्र ग्राहकों के लिए नए उत्पाद (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाएँ (प्रोसेसेज़), नई सेवाएँ (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडल, आदि उपलब्ध कराए जा सकेंगे।"

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 में संशोधन

22. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 में, अध्याय-VI के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“अध्याय-VI/क**विनियमों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में ढील देने की शक्ति****विशेष मामलों में विनियमों के लागू होने से छूट**

35क. (1) बोर्ड, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को, उतनी अवधि तक, जितनी निर्धारित की जाए किंतु जो बारह महीनों से अधिक की न हो, प्रतिभूति बाजारों (सिक्यूरिटीज़ मार्केट्स) में रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स के लाइव एनवायरमेंट में नए उत्पादों (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाओं (प्रोसेसेज़), नई सेवाओं (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडलों, आदि को परखने (की टेस्टिंग) से संबंधित तकनीकी पहलुओं में इनोवेशन करने के लिए, इन विनियमों के सभी प्रावधानों या किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) के तहत बोर्ड द्वारा प्रदान की गई कोई छूट इस बात के अध्यधीन होगी कि आवेदक ऐसी शर्तें पूरी करे (जिनमें सतत आधार पर पूरी की जाने वाली शर्तें शामिल हैं), जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ।

स्पष्टीकरण - इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, “रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स” से एक ऐसा लाइव टेस्टिंग एनवायरमेंट अभिप्रेत है, जहाँ, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में इनोवेशन करने के लिए, निर्धारित समयावधि हेतु कुछ पात्र ग्राहकों के लिए नए उत्पाद (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाएँ (प्रोसेसेज़), नई सेवाएँ (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडल, आदि उपलब्ध कराए जा सकेंगे।”

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2013 में संशोधन

23. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2013 में, अध्याय-VI के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“अध्याय-VI/क**विनियमों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में ढील देने की शक्ति****विशेष मामलों में विनियमों के लागू होने से छूट**

23क. (1) बोर्ड, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को, उतनी अवधि तक, जितनी निर्धारित की जाए किंतु जो बारह महीनों से अधिक की न हो, प्रतिभूति बाजारों (सिक्यूरिटीज़ मार्केट्स) में रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स के लाइव एनवायरमेंट में नए उत्पादों (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाओं (प्रोसेसेज़), नई सेवाओं (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडलों, आदि को परखने (की टेस्टिंग) से संबंधित तकनीकी पहलुओं में इनोवेशन करने के लिए, इन विनियमों के सभी प्रावधानों या किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) के तहत बोर्ड द्वारा प्रदान की गई कोई छूट इस बात के अध्यधीन होगी कि आवेदक ऐसी शर्तें पूरी करे (जिनमें सतत आधार पर पूरी की जाने वाली शर्तें शामिल हैं), जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ।

स्पष्टीकरण - इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, “रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स” से एक ऐसा लाइव टेस्टिंग एनवायरमेंट अभिप्रेत है, जहाँ, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में इनोवेशन करने के लिए, निर्धारित समयावधि हेतु कुछ पात्र ग्राहकों के लिए नए उत्पाद (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाएँ (प्रोसेसेज़), नई सेवाएँ (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडल, आदि उपलब्ध कराए जा सकेंगे।”

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013 में संशोधन

24. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013 में, अध्याय V के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“अध्याय Vक

विनियमों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में ढील देने की शक्ति

विशेष मामलों में विनियमों के लागू होने से छूट

28क. (1) बोर्ड, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को, उतनी अवधि तक, जितनी निर्धारित की जाए किंतु जो बारह महीनों से अधिक की न हो, प्रतिभूति बाजारों (सिक्यूरिटीज़ मार्केट्स) में रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स के लाइव एनवायरमेंट में नए उत्पादों (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाओं (प्रोसेसेज़), नई सेवाओं (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडलों, आदि को परखने (की टेस्टिंग) से संबंधित तकनीकी पहलुओं में इनोवेशन करने के लिए, इन विनियमों के सभी प्रावधानों या किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) के तहत बोर्ड द्वारा प्रदान की गई कोई छूट इस बात के अध्यधीन होगी कि आवेदक ऐसी शर्तें पूरी करे (जिनमें सतत आधार पर पूरी की जाने वाली शर्तें शामिल हैं), जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ।

स्पष्टीकरण - इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, “रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स” से एक ऐसा लाइव टेस्टिंग एनवायरमेंट अभिप्रेत है, जहाँ, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में इनोवेशन करने के लिए, निर्धारित समयावधि हेतु कुछ पात्र ग्राहकों के लिए नए उत्पाद (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाएँ (प्रोसेसेज़), नई सेवाएँ (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडल, आदि उपलब्ध कराए जा सकेंगे।”

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे) विनियम, 2014 में संशोधन

25. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे) विनियम, 2014 में, अध्याय-III के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“अध्याय-IIIक

विनियमों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में ढील देने की शक्ति

विशेष मामलों में विनियमों के लागू होने से छूट

27क. (1) बोर्ड, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को, उतनी अवधि तक, जितनी निर्धारित की जाए किंतु जो बारह महीनों से अधिक की न हो, प्रतिभूति बाजारों (सिक्यूरिटीज़ मार्केट्स) में रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स के लाइव एनवायरमेंट में नए उत्पादों (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाओं (प्रोसेसेज़), नई सेवाओं (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडलों, आदि को परखने (की टेस्टिंग) से संबंधित तकनीकी पहलुओं में इनोवेशन करने के लिए, इन विनियमों के सभी प्रावधानों या किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) के तहत बोर्ड द्वारा प्रदान की गई कोई छूट इस बात के अध्यधीन होगी कि आवेदक ऐसी शर्तें पूरी करे (जिनमें सतत आधार पर पूरी की जाने वाली शर्तें शामिल हैं), जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ।

स्पष्टीकरण - इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, “रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स” से एक ऐसा लाइव टेस्टिंग एनवायरमेंट अभिप्रेत है, जहाँ, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में इनोवेशन करने के लिए, निर्धारित समयावधि हेतु कुछ पात्र ग्राहकों के लिए नए उत्पाद (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाएँ (प्रोसेसेज़), नई सेवाएँ (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडल, आदि उपलब्ध कराए जा सकेंगे।”

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 में संशोधन

26. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 में, अध्याय-V के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“अध्याय-Vक

विनियमों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में ढील देने की शक्ति

विशेष मामलों में विनियमों के लागू होने से छूट

32क. (1) बोर्ड, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को, उतनी अवधि तक, जितनी निर्धारित की जाए किंतु जो बारह महीनों से अधिक की न हो, प्रतिभूति बाजारों (सिक्यूरिटीज़ मार्केट्स) में रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स के लाइव एनवायरमेंट में नए

उत्पादों (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाओं (प्रोसेसेज़), नई सेवाओं (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडलों, आदि को परखने (की टेस्टिंग) से संबंधित तकनीकी पहलुओं में इनोवेशन करने के लिए, इन विनियमों के सभी प्रावधानों या किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) के तहत बोर्ड द्वारा प्रदान की गई कोई छूट इस बात के अध्यधीन होगी कि आवेदक ऐसी शर्तें पूरी करे (जिनमें सतत आधार पर पूरी की जाने वाली शर्तें शामिल हैं), जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ।

स्पष्टीकरण - इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, "रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स" से एक ऐसा लाइव टेस्टिंग एनवायरमेंट अभिप्रेत है, जहाँ, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में इनोवेशन करने के लिए, निर्धारित समयावधि हेतु कुछ पात्र ग्राहकों के लिए नए उत्पाद (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाएँ (प्रोसेसेज़), नई सेवाएँ (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडल, आदि उपलब्ध कराए जा सकेंगे।"

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) विनियम, 2014 में संशोधन

27. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) विनियम, 2014 में, अध्याय-VIII के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“अध्याय-VIIIक

विनियमों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में ढील देने की शक्ति

विशेष मामलों में विनियमों के लागू होने से छूट

32क. (1) बोर्ड, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को, उतनी अवधि तक, जितनी निर्धारित की जाए किंतु जो बारह महीनों से अधिक की न हो, प्रतिभूति बाजारों (सिक्यूरिटीज़ मार्केट्स) में रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स के लाइव एनवायरमेंट में नए उत्पादों (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाओं (प्रोसेसेज़), नई सेवाओं (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडलों, आदि को परखने (की टेस्टिंग) से संबंधित तकनीकी पहलुओं में इनोवेशन करने के लिए, इन विनियमों के सभी प्रावधानों या किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) के तहत बोर्ड द्वारा प्रदान की गई कोई छूट इस बात के अध्यधीन होगी कि आवेदक ऐसी शर्तें पूरी करे (जिनमें सतत आधार पर पूरी की जाने वाली शर्तें शामिल हैं), जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ।

स्पष्टीकरण - इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, "रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स" से एक ऐसा लाइव टेस्टिंग एनवायरमेंट अभिप्रेत है, जहाँ, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में इनोवेशन करने के लिए, निर्धारित समयावधि हेतु कुछ पात्र ग्राहकों के लिए नए उत्पाद (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाएँ (प्रोसेसेज़), नई सेवाएँ (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडल, आदि उपलब्ध कराए जा सकेंगे।"

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 में संशोधन

28. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 में, अध्याय-VIII के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“अध्याय-VIIIक

विनियमों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में ढील देने की शक्ति

विशेष मामलों में विनियमों के लागू होने से छूट

32क. (1) बोर्ड, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को, उतनी अवधि तक, जितनी निर्धारित की जाए किंतु जो बारह महीनों से अधिक की न हो, प्रतिभूति बाजारों (सिक्यूरिटीज़ मार्केट्स) में रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स के लाइव एनवायरमेंट में नए उत्पादों (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाओं (प्रोसेसेज़), नई सेवाओं (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडलों, आदि को परखने (की टेस्टिंग) से संबंधित तकनीकी पहलुओं में इनोवेशन करने के लिए, इन विनियमों के सभी प्रावधानों या किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) के तहत बोर्ड द्वारा प्रदान की गई कोई छूट इस बात के अध्यधीन होगी कि आवेदक ऐसी शर्तें पूरी करे (जिनमें सतत आधार पर पूरी की जाने वाली शर्तें शामिल हैं), जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ।

स्पष्टीकरण - इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, "रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स" से एक ऐसा लाइव टेस्टिंग एनवायरमेंट अभिप्रेत है, जहाँ, ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में इनोवेशन करने के लिए, निर्धारित समयवधि हेतु कुछ पात्र ग्राहकों के लिए नए उत्पाद (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाएँ (प्रोसेसेज़), नई सेवाएँ (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडल, आदि उपलब्ध कराए जा सकेंगे।"

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों (म्युनिसिपल डैट सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता] विनियम, 2015 में संशोधन

29. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों (म्युनिसिपल डैट सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता] विनियम, 2015 में, अध्याय-VIIक के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“अध्याय-VIIख

विनियमों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में ढील देने की शक्ति

विशेष मामलों में विनियमों के लागू होने से छूट

27ख. (1) बोर्ड, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को, उतनी अवधि तक, जितनी निर्धारित की जाए किंतु जो बारह महीनों से अधिक की न हो, प्रतिभूति बाजारों (सिक्यूरिटीज़ मार्केट्स) में रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स के लाइव एनवायरमेंट में नए उत्पादों (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाओं (प्रोसेसेज़), नई सेवाओं (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडलों, आदि को परखने (की टेस्टिंग) से संबंधित तकनीकी पहलुओं में इनोवेशन करने के लिए, इन विनियमों के सभी प्रावधानों या किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) के तहत बोर्ड द्वारा प्रदान की गई कोई छूट इस बात के अध्यक्षीन होगी कि आवेदक ऐसी शर्तें पूरी करे (जिनमें सतत आधार पर पूरी की जाने वाली शर्तें शामिल हैं), जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ।

स्पष्टीकरण - इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, "रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स" से एक ऐसा लाइव टेस्टिंग एनवायरमेंट अभिप्रेत है, जहाँ, ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में इनोवेशन करने के लिए, निर्धारित समयवधि हेतु कुछ पात्र ग्राहकों के लिए नए उत्पाद (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाएँ (प्रोसेसेज़), नई सेवाएँ (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडल, आदि उपलब्ध कराए जा सकेंगे।"

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 में संशोधन

30. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 में, अध्याय-XI के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“अध्याय-XIक

विनियमों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में ढील देने की शक्ति

विशेष मामलों में विनियमों के लागू होने से छूट

99क. (1) बोर्ड, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को, उतनी अवधि तक, जितनी निर्धारित की जाए किंतु जो बारह महीनों से अधिक की न हो, प्रतिभूति बाजारों (सिक्यूरिटीज़ मार्केट्स) में रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स के लाइव एनवायरमेंट में नए उत्पादों (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाओं (प्रोसेसेज़), नई सेवाओं (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडलों, आदि को परखने (की टेस्टिंग) से संबंधित तकनीकी पहलुओं में इनोवेशन करने के लिए, इन विनियमों के सभी प्रावधानों या किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) के तहत बोर्ड द्वारा प्रदान की गई कोई छूट इस बात के अध्यक्षीन होगी कि आवेदक ऐसी शर्तें पूरी करे (जिनमें सतत आधार पर पूरी की जाने वाली शर्तें शामिल हैं), जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ।

स्पष्टीकरण - इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, "रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स" से एक ऐसा लाइव टेस्टिंग एनवायरमेंट अभिप्रेत है, जहाँ, ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में इनोवेशन करने के लिए, निर्धारित समयवधि हेतु कुछ पात्र ग्राहकों के लिए नए उत्पाद (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाएँ (प्रोसेसेज़), नई सेवाएँ (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडल, आदि उपलब्ध कराए जा सकेंगे।"

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 में संशोधन

31. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 में, अध्याय-VIII के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“अध्याय-VIIIक**विनियमों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में ढील देने की शक्ति****विशेष मामलों में विनियमों के लागू होने से छूट**

49क. (1) बोर्ड, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को, उतनी अवधि तक, जितनी निर्धारित की जाए किंतु जो बारह महीनों से अधिक की न हो, प्रतिभूति बाजारों (सिक््यूरिटीज़ मार्केट्स) में रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स के लाइव एनवायरमेंट में नए उत्पादों (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाओं (प्रोसेसेज़), नई सेवाओं (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडलों, आदि को परखने (की टेस्टिंग) से संबंधित तकनीकी पहलुओं में इनोवेशन करने के लिए, इन विनियमों के सभी प्रावधानों या किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) के तहत बोर्ड द्वारा प्रदान की गई कोई छूट इस बात के अध्यधीन होगी कि आवेदक ऐसी शर्तें पूरी करे (जिनमें सतत आधार पर पूरी की जाने वाली शर्तें शामिल हैं), जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ।

स्पष्टीकरण - इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, “रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स” से एक ऐसा लाइव टेस्टिंग एनवायरमेंट अभिप्रेत है, जहाँ, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ, प्रतिभूति बाजार (सिक््यूरिटीज़ मार्केट) में इनोवेशन करने के लिए, निर्धारित समयावधि हेतु कुछ पात्र ग्राहकों के लिए नए उत्पाद (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाएँ (प्रोसेसेज़), नई सेवाएँ (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडल, आदि उपलब्ध कराए जा सकेंगे।”

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 में संशोधन

32. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 में, अध्याय-XI के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“अध्याय-XIक**विनियमों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में ढील देने की शक्ति****विशेष मामलों में विनियमों के लागू होने से छूट**

295क. (1) बोर्ड, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को, उतनी अवधि तक, जितनी निर्धारित की जाए किंतु जो बारह महीनों से अधिक की न हो, प्रतिभूति बाजारों (सिक््यूरिटीज़ मार्केट्स) में रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स के लाइव एनवायरमेंट में नए उत्पादों (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाओं (प्रोसेसेज़), नई सेवाओं (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडलों, आदि को परखने (की टेस्टिंग) से संबंधित तकनीकी पहलुओं में इनोवेशन करने के लिए, इन विनियमों के सभी प्रावधानों या किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) के तहत बोर्ड द्वारा प्रदान की गई कोई छूट इस बात के अध्यधीन होगी कि आवेदक ऐसी शर्तें पूरी करे (जिनमें सतत आधार पर पूरी की जाने वाली शर्तें शामिल हैं), जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ।

स्पष्टीकरण - इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, “रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स” से एक ऐसा लाइव टेस्टिंग एनवायरमेंट अभिप्रेत है, जहाँ, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ, प्रतिभूति बाजार (सिक््यूरिटीज़ मार्केट) में इनोवेशन करने के लिए, निर्धारित समयावधि हेतु कुछ पात्र ग्राहकों के लिए नए उत्पाद (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाएँ (प्रोसेसेज़), नई सेवाएँ (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडल, आदि उपलब्ध कराए जा सकेंगे।”

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 में संशोधन

33. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 में, अध्याय-X के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“अध्याय-Xक

विनियमों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में ढील देने की शक्ति

विशेष मामलों में विनियमों के लागू होने से छूट

93क. (1) बोर्ड, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को, उतनी अवधि तक, जितनी निर्धारित की जाए किंतु जो बारह महीनों से अधिक की न हो, प्रतिभूति बाजारों (सिक्यूरिटीज़ मार्केट्स) में रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स के लाइव एनवायरमेंट में नए उत्पादों (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाओं (प्रोसेसेज़), नई सेवाओं (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडलों, आदि को परखने (की टेस्टिंग) से संबंधित तकनीकी पहलुओं में इनोवेशन करने के लिए, इन विनियमों के सभी प्रावधानों या किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) के तहत बोर्ड द्वारा प्रदान की गई कोई छूट इस बात के अध्यधीन होगी कि आवेदक ऐसी शर्तें पूरी करे (जिनमें सतत आधार पर पूरी की जाने वाली शर्तें शामिल हैं), जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ।

स्पष्टीकरण - इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, “रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स” से एक ऐसा लाइव टेस्टिंग एनवायरमेंट अभिप्रेत है, जहाँ, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में इनोवेशन करने के लिए, निर्धारित समयावधि हेतु कुछ पात्र ग्राहकों के लिए नए उत्पाद (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाएँ (प्रोसेसेज़), नई सेवाएँ (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडल, आदि उपलब्ध कराए जा सकेंगे।”

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] विनियम, 2018 में संशोधन

34. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] विनियम, 2018 में, अध्याय-V के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“अध्याय-Vक

विनियमों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में ढील देने की शक्ति

विशेष मामलों में विनियमों के लागू होने से छूट

25क. (1) बोर्ड, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को, उतनी अवधि तक, जितनी निर्धारित की जाए किंतु जो बारह महीनों से अधिक की न हो, प्रतिभूति बाजारों (सिक्यूरिटीज़ मार्केट्स) में रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स के लाइव एनवायरमेंट में नए उत्पादों (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाओं (प्रोसेसेज़), नई सेवाओं (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडलों, आदि को परखने (की टेस्टिंग) से संबंधित तकनीकी पहलुओं में इनोवेशन करने के लिए, इन विनियमों के सभी प्रावधानों या किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) के तहत बोर्ड द्वारा प्रदान की गई कोई छूट इस बात के अध्यधीन होगी कि आवेदक ऐसी शर्तें पूरी करे (जिनमें सतत आधार पर पूरी की जाने वाली शर्तें शामिल हैं), जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ।

स्पष्टीकरण - इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, “रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स” से एक ऐसा लाइव टेस्टिंग एनवायरमेंट अभिप्रेत है, जहाँ, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में इनोवेशन करने के लिए, निर्धारित समयावधि हेतु कुछ पात्र ग्राहकों के लिए नए उत्पाद (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाएँ (प्रोसेसेज़), नई सेवाएँ (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडल, आदि उपलब्ध कराए जा सकेंगे।”

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 में संशोधन

35. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 में, अध्याय-VIII के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“अध्याय-VIIIक

विनियमों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में ढील देने की शक्ति

विशेष मामलों में विनियमों के लागू होने से छूट

43क. (1) बोर्ड, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को, उतनी अवधि तक, जितनी निर्धारित की जाए किंतु जो बारह महीनों से अधिक की न हो, प्रतिभूति बाजारों (सिक्यूरिटीज़ मार्केट्स) में रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स के लाइव एनवायरमेंट में नए

उत्पादों (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाओं (प्रोसेसेज़), नई सेवाओं (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडलों, आदि को परखने (की टेस्टिंग) से संबंधित तकनीकी पहलुओं में इनोवेशन करने के लिए, इन विनियमों के सभी प्रावधानों या किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) के तहत बोर्ड द्वारा प्रदान की गई कोई छूट इस बात के अध्यधीन होगी कि आवेदक ऐसी शर्तें पूरी करे (जिनमें सतत आधार पर पूरी की जाने वाली शर्तें शामिल हैं), जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ।

स्पष्टीकरण - इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, "रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स" से एक ऐसा लाइव टेस्टिंग एनवायरमेंट अभिप्रेत है, जहाँ, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में इनोवेशन करने के लिए, निर्धारित समयावधि हेतु कुछ पात्र ग्राहकों के लिए नए उत्पाद (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाएँ (प्रोसेसेज़), नई सेवाएँ (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडल, आदि उपलब्ध कराए जा सकेंगे।"

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 में संशोधन

36. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 में, अध्याय-VI के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"अध्याय-VIक

विनियमों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में ढील देने की शक्ति

विशेष मामलों में विनियमों के लागू होने से छूट

42क. (1) बोर्ड, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को, उतनी अवधि तक, जितनी निर्धारित की जाए किंतु जो बारह महीनों से अधिक की न हो, प्रतिभूति बाजारों (सिक्यूरिटीज़ मार्केट्स) में रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स के लाइव एनवायरमेंट में नए उत्पादों (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाओं (प्रोसेसेज़), नई सेवाओं (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडलों, आदि को परखने (की टेस्टिंग) से संबंधित तकनीकी पहलुओं में इनोवेशन करने के लिए, इन विनियमों के सभी प्रावधानों या किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) के तहत बोर्ड द्वारा प्रदान की गई कोई छूट इस बात के अध्यधीन होगी कि आवेदक ऐसी शर्तें पूरी करे (जिनमें सतत आधार पर पूरी की जाने वाली शर्तें शामिल हैं), जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ।

स्पष्टीकरण - इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, "रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स" से एक ऐसा लाइव टेस्टिंग एनवायरमेंट अभिप्रेत है, जहाँ, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में इनोवेशन करने के लिए, निर्धारित समयावधि हेतु कुछ पात्र ग्राहकों के लिए नए उत्पाद (प्रोडक्ट्स), नई प्रक्रियाएँ (प्रोसेसेज़), नई सेवाएँ (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडल, आदि उपलब्ध कराए जा सकेंगे।"

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./08/2020]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 17th April, 2020

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (REGULATORY SANDBOX) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2020

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.—In exercise of the powers conferred by section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) and section 25 of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) Regulations, 1992, Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992, Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993, Securities and Exchange Board of India (Underwriters) Regulations, 1993, Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993, Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994, Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, Securities

and Exchange Board of India (Custodian) Regulations, 1996, Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999, Securities and Exchange Board of India (Collective Investment Scheme) Regulations, 1999, Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investor) Regulations, 2000, Securities and Exchange Board of India (Issue of Sweat Equity) Regulations, 2002, Securities and Exchange Board of India (Central Database of Market Participants) Regulations, 2003, Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Securitised Debt Instruments and Security Receipts) Regulations, 2008, Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008, Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008, Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, Securities and Exchange Board of India {KYC (Know Your Client) Registration Agency} Regulations, 2011, Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Redeemable Preference Shares) Regulations, 2013, Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013, Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014, Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014, Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 2014, Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014, Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Municipal Debt Securities) Regulations, 2015, Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018, Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018, Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018, Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019 and Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020, namely, -

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) Regulations, 1992.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) Regulations, 1992, after Chapter VI, the following Chapter shall be inserted, namely, -

“CHAPTER VI-A

POWER TO RELAX STRICT ENFORCEMENT OF THE REGULATIONS

Exemption from enforcement of the regulations in special cases.

28A. (1) The Board may, exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of these regulations for a period as may be specified but not exceeding twelve months, for furthering innovation in technological aspects relating to testing new products, processes, services, business models, etc. in live environment of regulatory sandbox in the securities markets.

(2) Any exemption granted by the Board under sub-regulation (1) shall be subject to the applicant satisfying such conditions as may be specified by the Board including conditions to be complied with on a continuous basis.

Explanation.—For the purposes of these regulations, "regulatory sandbox" means a live testing environment where new products, processes, services, business models, etc. may be deployed on a limited set of eligible customers for a specified period of time, for furthering innovation in the securities market, subject to such conditions as may be specified by the Board.”

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992.

4. In the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992, after Chapter V, following Chapter shall be inserted, namely, -

“CHAPTER VI

POWER TO RELAX STRICT ENFORCEMENT OF THE REGULATIONS

Exemption from enforcement of the regulations in special cases.

44. (1) The Board may, exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of these regulations for a period as may be specified but not exceeding twelve months, for furthering innovation in technological aspects relating to testing new products, processes, services, business models, etc. in live environment of regulatory sandbox in the securities markets.

(2) Any exemption granted by the Board under sub-regulation (1) shall be subject to the applicant satisfying such conditions as may be specified by the Board including conditions to be complied with on a continuous basis.

Explanation.—For the purposes of these regulations, "regulatory sandbox" means a live testing environment where new products, processes, services, business models, etc. may be deployed on a limited set of eligible customers for a specified period of time, for furthering innovation in the securities market, subject to such conditions as may be specified by the Board."

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993.

5. In the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993, after Chapter V, following Chapter shall be inserted, namely, -

“CHAPTER VI

POWER TO RELAX STRICT ENFORCEMENT OF THE REGULATIONS

Exemption from enforcement of the regulations in special cases.

33. (1) The Board may, exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of these regulations for a period as may be specified but not exceeding twelve months, for furthering innovation in technological aspects relating to testing new products, processes, services, business models, etc. in live environment of regulatory sandbox in the securities markets.

(2) Any exemption granted by the Board under sub-regulation (1) shall be subject to the applicant satisfying such conditions as may be specified by the Board including conditions to be complied with on a continuous basis.

Explanation.—For the purposes of these regulations, "regulatory sandbox" means a live testing environment where new products, processes, services, business models, etc. may be deployed on a limited set of eligible customers for a specified period of time, for furthering innovation in the securities market, subject to such conditions as may be specified by the Board."

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Underwriters) Regulations, 1993.

6. In the Securities and Exchange Board of India (Underwriters) Regulations, 1993, after Chapter V, following Chapter shall be inserted, namely, -

“CHAPTER VI

POWER TO RELAX STRICT ENFORCEMENT OF THE REGULATIONS

Exemption from enforcement of the regulations in special cases.

33. (1) The Board may, exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of these regulations for a period as may be specified but not exceeding twelve months, for furthering innovation in technological aspects relating to testing new products, processes, services, business models, etc. in live environment of regulatory sandbox in the securities markets.

(2) Any exemption granted by the Board under sub-regulation (1) shall be subject to the applicant satisfying such conditions as may be specified by the Board including conditions to be complied with on a continuous basis.

Explanation.—For the purposes of these regulations, "regulatory sandbox" means a live testing environment where new products, processes, services, business models, etc. may be deployed on a limited set of eligible customers for a specified period of time, for furthering innovation in the securities market, subject to such conditions as may be specified by the Board."

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993.

7. In the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993, after Chapter V, following Chapter shall be inserted, namely, -

“CHAPTER VI**POWER TO RELAX STRICT ENFORCEMENT OF THE REGULATIONS****Exemption from enforcement of the regulations in special cases.**

30. (1) The Board may, exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of these regulations for a period as may be specified but not exceeding twelve months, for furthering innovation in technological aspects relating to testing new products, processes, services, business models, etc. in live environment of regulatory sandbox in the securities markets.

(2) Any exemption granted by the Board under sub-regulation (1) shall be subject to the applicant satisfying such conditions as may be specified by the Board including conditions to be complied with on a continuous basis.

Explanation.—For the purposes of these regulations, "regulatory sandbox" means a live testing environment where new products, processes, services, business models, etc. may be deployed on a limited set of eligible customers for a specified period of time, for furthering innovation in the securities market, subject to such conditions as may be specified by the Board.”

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994.

8. In the Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994, after Chapter V, following Chapter shall be inserted, namely, -

“CHAPTER VI**POWER TO RELAX STRICT ENFORCEMENT OF THE REGULATIONS****Exemption from enforcement of the regulations in special cases.**

32. (1) The Board may, exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of these regulations for a period as may be specified but not exceeding twelve months, for furthering innovation in technological aspects relating to testing new products, processes, services, business models, etc. in live environment of regulatory sandbox in the securities markets.

(2) Any exemption granted by the Board under sub-regulation (1) shall be subject to the applicant satisfying such conditions as may be specified by the Board including conditions to be complied with on a continuous basis.

Explanation.—For the purposes of these regulations, "regulatory sandbox" means a live testing environment where new products, processes, services, business models, etc. may be deployed on a limited set of eligible customers for a specified period of time, for furthering innovation in the securities market, subject to such conditions as may be specified by the Board.”

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996.

9. In the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, after Chapter IX, following Chapter shall be inserted, namely, -

“CHAPTER IX-A**POWER TO RELAX STRICT ENFORCEMENT OF THE REGULATIONS****Exemption from enforcement of the regulations in special cases.**

76A. (1) The Board may, exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of these regulations for a period as may be specified but not exceeding twelve months, for furthering innovation in technological aspects relating to testing new products, processes, services, business models, etc. in live environment of regulatory sandbox in the securities markets.

(2) Any exemption granted by the Board under sub-regulation (1) shall be subject to the applicant satisfying such conditions as may be specified by the Board including conditions to be complied with on a continuous basis.

Explanation.—For the purposes of these regulations, "regulatory sandbox" means a live testing environment where new products, processes, services, business models, etc. may be deployed on a limited set of eligible customers for a specified period of time, for furthering innovation in the securities market, subject to such conditions as may be specified by the Board.”

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Custodian) Regulations, 1996.

10. In the Securities and Exchange Board of India (Custodian) Regulations, 1996, after Chapter V, following Chapter shall be inserted, namely, -

“CHAPTER VI**POWER TO RELAX STRICT ENFORCEMENT OF THE REGULATIONS****Exemption from enforcement of the regulations in special cases.**

33. (1) The Board may, exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of these regulations for a period as may be specified but not exceeding twelve months, for furthering innovation in technological aspects relating to testing new products, processes, services, business models, etc. in live environment of regulatory sandbox in the securities markets.

(2) Any exemption granted by the Board under sub-regulation (1) shall be subject to the applicant satisfying such conditions as may be specified by the Board including conditions to be complied with on a continuous basis.

Explanation.—For the purposes of these regulations, "regulatory sandbox" means a live testing environment where new products, processes, services, business models, etc. may be deployed on a limited set of eligible customers for a specified period of time, for furthering innovation in the securities market, subject to such conditions as may be specified by the Board.”

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999.

11. In the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999, after Chapter VI, following Chapter shall be inserted, namely, -

“CHAPTER VII**POWER TO RELAX STRICT ENFORCEMENT OF THE REGULATIONS****Exemption from enforcement of the regulations in special cases.**

43. (1) The Board may, exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of these regulations for a period as may be specified but not exceeding twelve months, for furthering innovation in technological aspects relating to testing new products, processes, services, business models, etc. in live environment of regulatory sandbox in the securities markets.

(2) Any exemption granted by the Board under sub-regulation (1) shall be subject to the applicant satisfying such conditions as may be specified by the Board including conditions to be complied with on a continuous basis.

Explanation.—For the purposes of these regulations, "regulatory sandbox" means a live testing environment where new products, processes, services, business models, etc. may be deployed on a limited set of eligible customers for a specified period of time, for furthering innovation in the securities market, subject to such conditions as may be specified by the Board.”

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Collective Investment Scheme) Regulations, 1999.

12. In the Securities and Exchange Board of India (Collective Investment Scheme) Regulations, 1999, after Chapter IX-A, following Chapter shall be inserted, namely, -

“CHAPTER IX-B**POWER TO RELAX STRICT ENFORCEMENT OF THE REGULATIONS****Exemption from enforcement of the regulations in special cases.**

74B. (1) The Board may, exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of these regulations for a period as may be specified but not exceeding twelve months, for furthering innovation in technological aspects relating to testing new products, processes, services, business models, etc. in live environment of regulatory sandbox in the securities markets.

(2) Any exemption granted by the Board under sub-regulation (1) shall be subject to the applicant satisfying such conditions as may be specified by the Board including conditions to be complied with on a continuous basis.

Explanation.—For the purposes of these regulations, "regulatory sandbox" means a live testing environment where new products, processes, services, business models, etc. may be deployed on a limited set of eligible customers for a specified period of time, for furthering innovation in the securities market, subject to such conditions as may be specified by the Board."

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investor) Regulations, 2000.

13. In the Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investor) Regulations, 2000, after Chapter VI, following Chapter shall be inserted, namely, -

“CHAPTER VII

POWER TO RELAX STRICT ENFORCEMENT OF THE REGULATIONS

Exemption from enforcement of the regulations in special cases.

30. (1) The Board may, exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of these regulations for a period as may be specified but not exceeding twelve months, for furthering innovation in technological aspects relating to testing new products, processes, services, business models, etc. in live environment of regulatory sandbox in the securities markets.

(2) Any exemption granted by the Board under sub-regulation (1) shall be subject to the applicant satisfying such conditions as may be specified by the Board including conditions to be complied with on a continuous basis.

Explanation.—For the purposes of these regulations, "regulatory sandbox" means a live testing environment where new products, processes, services, business models, etc. may be deployed on a limited set of eligible customers for a specified period of time, for furthering innovation in the securities market, subject to such conditions as may be specified by the Board."

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Issue of Sweat Equity) Regulations, 2002.

14. In the Securities and Exchange Board of India (Issue of Sweat Equity) Regulations, 2002, after Chapter IV, following Chapter shall be inserted, namely, -

“CHAPTER V

POWER TO RELAX STRICT ENFORCEMENT OF THE REGULATIONS

Exemption from enforcement of the regulations in special cases.

21. (1) The Board may, exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of these regulations for a period as may be specified but not exceeding twelve months, for furthering innovation in technological aspects relating to testing new products, processes, services, business models, etc. in live environment of regulatory sandbox in the securities markets.

(2) Any exemption granted by the Board under sub-regulation (1) shall be subject to the applicant satisfying such conditions as may be specified by the Board including conditions to be complied with on a continuous basis.

Explanation.—For the purposes of these regulations, "regulatory sandbox" means a live testing environment where new products, processes, services, business models, etc. may be deployed on a limited set of eligible customers for a specified period of time, for furthering innovation in the securities market, subject to such conditions as may be specified by the Board."

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Central Database of Market Participants) Regulations, 2003.

15. In the Securities and Exchange Board of India (Central Database of Market Participants) Regulations, 2003, after Chapter V, following Chapter shall be inserted, namely, -

“CHAPTER VI

POWER TO RELAX STRICT ENFORCEMENT OF THE REGULATIONS

Exemption from enforcement of the regulations in special cases.

23. (1) The Board may, exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of these regulations for a period as may be specified but not exceeding twelve months, for furthering innovation in technological aspects relating to testing new products, processes, services, business models, etc. in live environment of regulatory sandbox in the securities markets.

(2) Any exemption granted by the Board under sub-regulation (1) shall be subject to the applicant satisfying such conditions as may be specified by the Board including conditions to be complied with on a continuous basis.

Explanation.—For the purposes of these regulations, "regulatory sandbox" means a live testing environment where new products, processes, services, business models, etc. may be deployed on a limited set of eligible customers for a specified period of time, for furthering innovation in the securities market, subject to such conditions as may be specified by the Board.”

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Securitised Debt Instruments and Security Receipts) Regulations, 2008.

16. In the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Securitised Debt Instruments and Security Receipts) Regulations, 2008, after Chapter IX, following Chapter shall be inserted, namely, -

“CHAPTER IX-A

POWER TO RELAX STRICT ENFORCEMENT OF THE REGULATIONS

Exemption from enforcement of the regulations in special cases.

47A. (1) The Board may, exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of these regulations for a period as may be specified but not exceeding twelve months, for furthering innovation in technological aspects relating to testing new products, processes, services, business models, etc. in live environment of regulatory sandbox in the securities markets.

(2) Any exemption granted by the Board under sub-regulation (1) shall be subject to the applicant satisfying such conditions as may be specified by the Board including conditions to be complied with on a continuous basis.

Explanation.—For the purposes of these regulations, "regulatory sandbox" means a live testing environment where new products, processes, services, business models, etc. may be deployed on a limited set of eligible customers for a specified period of time, for furthering innovation in the securities market, subject to such conditions as may be specified by the Board.”

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.

17. In the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008, after Chapter VI, following Chapter shall be inserted, namely, -

“CHAPTER VI-A

POWER TO RELAX STRICT ENFORCEMENT OF THE REGULATIONS

Exemption from enforcement of the regulations in special cases.

29A. (1) The Board may, exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of these regulations for a period as may be specified but not exceeding twelve months, for furthering innovation in technological aspects relating to testing new products, processes, services, business models, etc. in live environment of regulatory sandbox in the securities markets.

(2) Any exemption granted by the Board under sub-regulation (1) shall be subject to the applicant satisfying such conditions as may be specified by the Board including conditions to be complied with on a continuous basis.

Explanation.—For the purposes of these regulations, "regulatory sandbox" means a live testing environment where new products, processes, services, business models, etc. may be deployed on a limited

set of eligible customers for a specified period of time, for furthering innovation in the securities market, subject to such conditions as may be specified by the Board.”

Amendment to Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008.

18. In the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008, after Chapter V-A, following Chapter shall be inserted, namely, -

“CHAPTER V-B

POWER TO RELAX STRICT ENFORCEMENT OF THE REGULATIONS

Exemption from enforcement of the regulations in special cases.

33D. (1) The Board may, exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of these regulations for a period as may be specified but not exceeding twelve months, for furthering innovation in technological aspects relating to testing new products, processes, services, business models, etc. in live environment of regulatory sandbox in the securities markets.

(2) Any exemption granted by the Board under sub-regulation (1) shall be subject to the applicant satisfying such conditions as may be specified by the Board including conditions to be complied with on a continuous basis.

Explanation.—For the purposes of these regulations, "regulatory sandbox" means a live testing environment where new products, processes, services, business models, etc. may be deployed on a limited set of eligible customers for a specified period of time, for furthering innovation in the securities market, subject to such conditions as may be specified by the Board.”

Amendment to Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009.

19. In the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, after Chapter VII, following Chapter shall be inserted, namely, -

“CHAPTER VII-A

POWER TO RELAX STRICT ENFORCEMENT OF THE REGULATIONS

Exemption from enforcement of the regulations in special cases.

28A. (1) The Board may, exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of these regulations for a period as may be specified but not exceeding twelve months, for furthering innovation in technological aspects relating to testing new products, processes, services, business models, etc. in live environment of regulatory sandbox in the securities markets.

(2) Any exemption granted by the Board under sub-regulation (1) shall be subject to the applicant satisfying such conditions as may be specified by the Board including conditions to be complied with on a continuous basis.

Explanation.—For the purposes of these regulations, "regulatory sandbox" means a live testing environment where new products, processes, services, business models, etc. may be deployed on a limited set of eligible customers for a specified period of time, for furthering innovation in the securities market, subject to such conditions as may be specified by the Board.”

Amendment to Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011.

20. In the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, after Chapter V, following Chapter shall be inserted, namely, -

“CHAPTER V-A

POWER TO RELAX STRICT ENFORCEMENT OF THE REGULATIONS

Exemption from enforcement of the regulations in special cases.

31A. (1) The Board may, exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of these regulations for a period as may be specified but not exceeding twelve months, for

furthering innovation in technological aspects relating to testing new products, processes, services, business models, etc. in live environment of regulatory sandbox in the securities markets.

(2) Any exemption granted by the Board under sub-regulation (1) shall be subject to the applicant satisfying such conditions as may be specified by the Board including conditions to be complied with on a continuous basis.

Explanation.—For the purposes of these regulations, "regulatory sandbox" means a live testing environment where new products, processes, services, business models, etc. may be deployed on a limited set of eligible customers for a specified period of time, for furthering innovation in the securities market, subject to such conditions as may be specified by the Board."

Amendment to Securities and Exchange Board of India {KYC (Know Your Client) Registration Agency} Regulations, 2011.

21. In the Securities and Exchange Board of India {KYC (Know Your Client) Registration Agency} Regulations, 2011, after Chapter V, following Chapter shall be inserted, namely, -

“CHAPTER VI

POWER TO RELAX STRICT ENFORCEMENT OF THE REGULATIONS

Exemption from enforcement of the regulations in special cases.

26. (1) The Board may, exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of these regulations for a period as may be specified but not exceeding twelve months, for furthering innovation in technological aspects relating to testing new products, processes, services, business models, etc. in live environment of regulatory sandbox in the securities markets.

(2) Any exemption granted by the Board under sub-regulation (1) shall be subject to the applicant satisfying such conditions as may be specified by the Board including conditions to be complied with on a continuous basis.

Explanation.—For the purposes of these regulations, "regulatory sandbox" means a live testing environment where new products, processes, services, business models, etc. may be deployed on a limited set of eligible customers for a specified period of time, for furthering innovation in the securities market, subject to such conditions as may be specified by the Board."

Amendment to Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012.

22. In the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, after Chapter VI, following Chapter shall be inserted, namely, -

“CHAPTER VI-A

POWER TO RELAX STRICT ENFORCEMENT OF THE REGULATIONS

Exemption from enforcement of the regulations in special cases.

35A. (1) The Board may, exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of these regulations for a period as may be specified but not exceeding twelve months, for furthering innovation in technological aspects relating to testing new products, processes, services, business models, etc. in live environment of regulatory sandbox in the securities markets.

(2) Any exemption granted by the Board under sub-regulation (1) shall be subject to the applicant satisfying such conditions as may be specified by the Board including conditions to be complied with on a continuous basis.

Explanation.—For the purposes of these regulations, "regulatory sandbox" means a live testing environment where new products, processes, services, business models, etc. may be deployed on a limited set of eligible customers for a specified period of time, for furthering innovation in the securities market, subject to such conditions as may be specified by the Board."

Amendment to Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Redeemable Preference Shares) Regulations, 2013.

23. In the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Redeemable Preference Shares) Regulations, 2013, after Chapter VI, following Chapter shall be inserted, namely, -

“CHAPTER VI-A**POWER TO RELAX STRICT ENFORCEMENT OF THE REGULATIONS****Exemption from enforcement of the regulations in special cases.**

23A. (1) The Board may, exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of these regulations for a period as may be specified but not exceeding twelve months, for furthering innovation in technological aspects relating to testing new products, processes, services, business models, etc. in live environment of regulatory sandbox in the securities markets.

(2) Any exemption granted by the Board under sub-regulation (1) shall be subject to the applicant satisfying such conditions as may be specified by the Board including conditions to be complied with on a continuous basis.

Explanation.—For the purposes of these regulations, "regulatory sandbox" means a live testing environment where new products, processes, services, business models, etc. may be deployed on a limited set of eligible customers for a specified period of time, for furthering innovation in the securities market, subject to such conditions as may be specified by the Board.”

Amendment to Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013.

24. In the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013, after Chapter V, following Chapter shall be inserted, namely, -

“CHAPTER V-A**POWER TO RELAX STRICT ENFORCEMENT OF THE REGULATIONS****Exemption from enforcement of the regulations in special cases.**

28A. (1) The Board may, exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of these regulations for a period as may be specified but not exceeding twelve months, for furthering innovation in technological aspects relating to testing new products, processes, services, business models, etc. in live environment of regulatory sandbox in the securities markets.

(2) Any exemption granted by the Board under sub-regulation (1) shall be subject to the applicant satisfying such conditions as may be specified by the Board including conditions to be complied with on a continuous basis.

Explanation.—For the purposes of these regulations, "regulatory sandbox" means a live testing environment where new products, processes, services, business models, etc. may be deployed on a limited set of eligible customers for a specified period of time, for furthering innovation in the securities market, subject to such conditions as may be specified by the Board.”

Amendment to Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014.

25. In the Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014, after Chapter III, following Chapter shall be inserted, namely, -

“CHAPTER III-A**POWER TO RELAX STRICT ENFORCEMENT OF THE REGULATIONS****Exemption from enforcement of the regulations in special cases.**

27A. (1) The Board may, exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of these regulations for a period as may be specified but not exceeding twelve months, for furthering innovation in technological aspects relating to testing new products, processes, services, business models, etc. in live environment of regulatory sandbox in the securities markets.

(2) Any exemption granted by the Board under sub-regulation (1) shall be subject to the applicant satisfying such conditions as may be specified by the Board including conditions to be complied with on a continuous basis.

Explanation.—For the purposes of these regulations, "regulatory sandbox" means a live testing environment where new products, processes, services, business models, etc. may be deployed on a limited set of eligible customers for a specified period of time, for furthering innovation in the securities market, subject to such conditions as may be specified by the Board."

Amendment to Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014.

26. In the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014, after Chapter V, following Chapter shall be inserted, namely, -

“CHAPTER V-A

POWER TO RELAX STRICT ENFORCEMENT OF THE REGULATIONS

Exemption from enforcement of the regulations in special cases.

32A. (1) The Board may, exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of these regulations for a period as may be specified but not exceeding twelve months, for furthering innovation in technological aspects relating to testing new products, processes, services, business models, etc. in live environment of regulatory sandbox in the securities markets.

(2) Any exemption granted by the Board under sub-regulation (1) shall be subject to the applicant satisfying such conditions as may be specified by the Board including conditions to be complied with on a continuous basis.

Explanation.—For the purposes of these regulations, "regulatory sandbox" means a live testing environment where new products, processes, services, business models, etc. may be deployed on a limited set of eligible customers for a specified period of time, for furthering innovation in the securities market, subject to such conditions as may be specified by the Board."

Amendment to Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 2014.

27. In the Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 2014, after Chapter VIII, following Chapter shall be inserted, namely, -

“CHAPTER VIII-A

POWER TO RELAX STRICT ENFORCEMENT OF THE REGULATIONS

Exemption from enforcement of the regulations in special cases.

32A. (1) The Board may, exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of these regulations for a period as may be specified but not exceeding twelve months, for furthering innovation in technological aspects relating to testing new products, processes, services, business models, etc. in live environment of regulatory sandbox in the securities markets.

(2) Any exemption granted by the Board under sub-regulation (1) shall be subject to the applicant satisfying such conditions as may be specified by the Board including conditions to be complied with on a continuous basis.

Explanation.—For the purposes of these regulations, "regulatory sandbox" means a live testing environment where new products, processes, services, business models, etc. may be deployed on a limited set of eligible customers for a specified period of time, for furthering innovation in the securities market, subject to such conditions as may be specified by the Board."

Amendment to Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014.

28. In the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014, after Chapter VIII, following Chapter shall be inserted, namely, -

“CHAPTER VIII-A**POWER TO RELAX STRICT ENFORCEMENT OF THE REGULATIONS****Exemption from enforcement of the regulations in special cases.**

32A. (1) The Board may, exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of these regulations for a period as may be specified but not exceeding twelve months, for furthering innovation in technological aspects relating to testing new products, processes, services, business models, etc. in live environment of regulatory sandbox in the securities markets.

(2) Any exemption granted by the Board under sub-regulation (1) shall be subject to the applicant satisfying such conditions as may be specified by the Board including conditions to be complied with on a continuous basis.

Explanation.—For the purposes of these regulations, "regulatory sandbox" means a live testing environment where new products, processes, services, business models, etc. may be deployed on a limited set of eligible customers for a specified period of time, for furthering innovation in the securities market, subject to such conditions as may be specified by the Board.”

Amendment to Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Municipal Debt Securities) Regulations, 2015.

29. In the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Municipal Debt Securities) Regulations, 2015, after Chapter VII-A, following Chapter shall be inserted, namely, -

“CHAPTER VII-B**POWER TO RELAX STRICT ENFORCEMENT OF THE REGULATIONS****Exemption from enforcement of the regulations in special cases.**

27B. (1) The Board may, exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of these regulations for a period as may be specified but not exceeding twelve months, for furthering innovation in technological aspects relating to testing new products, processes, services, business models, etc. in live environment of regulatory sandbox in the securities markets.

(2) Any exemption granted by the Board under sub-regulation (1) shall be subject to the applicant satisfying such conditions as may be specified by the Board including conditions to be complied with on a continuous basis.

Explanation.—For the purposes of these regulations, "regulatory sandbox" means a live testing environment where new products, processes, services, business models, etc. may be deployed on a limited set of eligible customers for a specified period of time, for furthering innovation in the securities market, subject to such conditions as may be specified by the Board.”

Amendment to Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

30. In the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, after Chapter XI, following Chapter shall be inserted, namely, -

“CHAPTER XI-A**POWER TO RELAX STRICT ENFORCEMENT OF THE REGULATIONS****Exemption from enforcement of the regulations in special cases.**

99A. (1) The Board may, exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of these regulations for a period as may be specified but not exceeding twelve months, for furthering innovation in technological aspects relating to testing new products, processes, services, business models, etc. in live environment of regulatory sandbox in the securities markets.

(2) Any exemption granted by the Board under sub-regulation (1) shall be subject to the applicant satisfying such conditions as may be specified by the Board including conditions to be complied with on a continuous basis.

Explanation.—For the purposes of these regulations, "regulatory sandbox" means a live testing environment where new products, processes, services, business models, etc. may be deployed on a limited set of eligible customers for a specified period of time, for furthering innovation in the securities market, subject to such conditions as may be specified by the Board."

Amendment to Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018.

31. In the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018, after Chapter VIII, following Chapter shall be inserted, namely, -

“CHAPTER VIII-A

POWER TO RELAX STRICT ENFORCEMENT OF THE REGULATIONS

Exemption from enforcement of the regulations in special cases.

49A. (1) The Board may, exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of these regulations for a period as may be specified but not exceeding twelve months, for furthering innovation in technological aspects relating to testing new products, processes, services, business models, etc. in live environment of regulatory sandbox in the securities markets.

(2) Any exemption granted by the Board under sub-regulation (1) shall be subject to the applicant satisfying such conditions as may be specified by the Board including conditions to be complied with on a continuous basis.

Explanation.—For the purposes of these regulations, "regulatory sandbox" means a live testing environment where new products, processes, services, business models, etc. may be deployed on a limited set of eligible customers for a specified period of time, for furthering innovation in the securities market, subject to such conditions as may be specified by the Board."

Amendment to Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018.

32. In the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, after Chapter XI, following Chapter shall be inserted, namely, -

“CHAPTER XI-A

POWER TO RELAX STRICT ENFORCEMENT OF THE REGULATIONS

Exemption from enforcement of the regulations in special cases.

295A. (1) The Board may, exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of these regulations for a period as may be specified but not exceeding twelve months, for furthering innovation in technological aspects relating to testing new products, processes, services, business models, etc. in live environment of regulatory sandbox in the securities markets.

(2) Any exemption granted by the Board under sub-regulation (1) shall be subject to the applicant satisfying such conditions as may be specified by the Board including conditions to be complied with on a continuous basis.

Explanation.—For the purposes of these regulations, "regulatory sandbox" means a live testing environment where new products, processes, services, business models, etc. may be deployed on a limited set of eligible customers for a specified period of time, for furthering innovation in the securities market, subject to such conditions as may be specified by the Board."

Amendment to Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018.

33. In the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018, after Chapter X, following Chapter shall be inserted, namely, -

“CHAPTER X-A**POWER TO RELAX STRICT ENFORCEMENT OF THE REGULATIONS****Exemption from enforcement of the regulations in special cases.**

93A. (1) The Board may, exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of these regulations for a period as may be specified but not exceeding twelve months, for furthering innovation in technological aspects relating to testing new products, processes, services, business models, etc. in live environment of regulatory sandbox in the securities markets.

(2) Any exemption granted by the Board under sub-regulation (1) shall be subject to the applicant satisfying such conditions as may be specified by the Board including conditions to be complied with on a continuous basis.

Explanation.—For the purposes of these regulations, "regulatory sandbox" means a live testing environment where new products, processes, services, business models, etc. may be deployed on a limited set of eligible customers for a specified period of time, for furthering innovation in the securities market, subject to such conditions as may be specified by the Board.”

Amendment to Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018.

34. In the Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018, after Chapter V, following Chapter shall be inserted, namely, -

“CHAPTER V-A**POWER TO RELAX STRICT ENFORCEMENT OF THE REGULATIONS****Exemption from enforcement of the regulations in special cases.**

25A. (1) The Board may, exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of these regulations for a period as may be specified but not exceeding twelve months, for furthering innovation in technological aspects relating to testing new products, processes, services, business models, etc. in live environment of regulatory sandbox in the securities markets.

(2) Any exemption granted by the Board under sub-regulation (1) shall be subject to the applicant satisfying such conditions as may be specified by the Board including conditions to be complied with on a continuous basis.

Explanation.—For the purposes of these regulations, "regulatory sandbox" means a live testing environment where new products, processes, services, business models, etc. may be deployed on a limited set of eligible customers for a specified period of time, for furthering innovation in the securities market, subject to such conditions as may be specified by the Board.”

Amendment to Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019.

35. In the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019, after Chapter VIII, following Chapter shall be inserted, namely, -

“CHAPTER VIII-A**POWER TO RELAX STRICT ENFORCEMENT OF THE REGULATIONS****Exemption from enforcement of the regulations in special cases.**

43A. (1) The Board may, exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of these regulations for a period as may be specified but not exceeding twelve months, for furthering innovation in technological aspects relating to testing new products, processes, services, business models, etc. in live environment of regulatory sandbox in the securities markets.

(2) Any exemption granted by the Board under sub-regulation (1) shall be subject to the applicant satisfying such conditions as may be specified by the Board including conditions to be complied with on a continuous basis.

Explanation.—For the purposes of these regulations, "regulatory sandbox" means a live testing environment where new products, processes, services, business models, etc. may be deployed on a limited set of eligible customers for a specified period of time, for furthering innovation in the securities market, subject to such conditions as may be specified by the Board."

Amendment to Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020.

36. In the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020, after Chapter VI, following Chapter shall be inserted, namely, -

“CHAPTER VI-A

POWER TO RELAX STRICT ENFORCEMENT OF THE REGULATIONS

Exemption from enforcement of the regulations in special cases.

42A. (1) The Board may, exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of these regulations for a period as may be specified but not exceeding twelve months, for furthering innovation in technological aspects relating to testing new products, processes, services, business models, etc. in live environment of regulatory sandbox in the securities markets.

(2) Any exemption granted by the Board under sub-regulation (1) shall be subject to the applicant satisfying such conditions as may be specified by the Board including conditions to be complied with on a continuous basis.

Explanation.—For the purposes of these regulations, "regulatory sandbox" means a live testing environment where new products, processes, services, business models, etc. may be deployed on a limited set of eligible customers for a specified period of time, for furthering innovation in the securities market, subject to such conditions as may be specified by the Board."

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./08/2020]